(1)

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/भूप्रआ/समु/सीमा/9/13/4/92/ 6840 दिनांकः– 3-11-15

परिपत्र

विषयः– राजकीय भूमियों के निशुल्क/सशुल्क सीमाज्ञान, माननीय न्यायालयों/लोकायुक्त सचिवालय, राजकीय कार्यालयों के आदेश, राजकीय कार्य हेतु एवं जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त सीमाज्ञान से संबंधित प्रकरणों के सीमाज्ञान हेतु अवधि एवं दर निर्धारण किये जाने बाबत।

विभाग द्वारा भूमि संबंधी सीमाज्ञान/पत्थरगढी प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्व एजेन्सी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समय समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र में निशुल्क सीमाज्ञान प्रकरणों में मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त कर नियुक्त टीम उपलब्ध कराने के निर्देश है।

शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग द्वारा पत्र कमांकःप.13(25) राज/ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.92 में खडी फसल के समय पत्थरगढी आदि का कार्य न किया जाकर उक्त कार्य फसल रहित समय में सम्पन्न कराने के निर्देश हैं। भू प्रबन्ध मैन्युवल में फील्ड सीजन अवधि 8 माह निर्धारित है। यदि फील्ड सीजन की अवधि बढ़ाना आवश्यक समझा जाये तो 1 माह की फील्ड सीजन अवधि भू प्रबन्ध आयुक्त की स्वीकृति से बढ़ाई जा सकती है।

पूर्व में चैन (जरीब) से सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही करने के कारण फसल खराब होने का अन्देशा रहता था। वर्तमान में आधुनिक मशीनों का प्रचलन होने से फसल खराब होने का अन्देशा अपेक्षाकृत कम संभावनाएं है। इस परिपेक्ष्य में ऑफ सीजन में भी न्यायालय, लोकायुक्त प्रकरणों एवं संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरणों में सीमाज्ञान तत्काल कराने की आवश्यकता को देखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि ऑफ सीजन में भी उपरोक्त प्रकरणो में निजी एवं राजकीय प्रयोजनों से ई0टी0एस0 एवं जी0पी0एस0 मशीन से सीमाज्ञान कराया जा सकेगा।

सभी प्रकार के सीमाज्ञान के प्रकरणों में सीमाज्ञान कराये जाने का निर्णय सम्बन्धित भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। पूर्व में जिला कलेक्टर्स के अनुरोध पर निःशुल्क सीमाज्ञानकराये जाने के प्रकरणों को अनुमति हेतु आयुक्त भू–प्रबन्ध को प्रेषित करने के निर्देश थे। उक्त निर्देशों में संशोधन करते हुये निःशुल्क सीमाज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण भी सम्बन्धित भू–प्रबन्ध अधिकारी के स्तर से ही किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

आम आवेदकों को दृष्टिगत रखते हुये शुल्क गणना की पद्वति को भी निम्नानुसार सरलीकृत किया जा रहा है। इसके अनुसार दरो की गणना प्रति हैक्टेयर के अनुसार की जावेगी।

सीमाज्ञान शुल्क हेतु वर्तमान में वास्तविक गणना कर राशि लिये जाने के निर्देश है। इसके स्थान पर अब भू–प्रबन्ध विभाग के माध्यम से सशुल्क सीमाज्ञान कराये जाने के सभी मामलों हेतु शुल्क 5000/–पांच हजार रूपये प्रति हैक्टेयर तथा एक हैक्टेयर से अधिक रकबा होने पर पूर्ण हैक्टेयर की अतिरिक्त राशि देय होगी। ई0टी0एस0/डीजीपीएस मशीन लाने व ले जाने की व्यवस्था आवेदक द्वारा स्वयं के स्तर से की जावेगी।

इसके अतिरिक्त भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा जिन प्रकरणों में पारम्परिक पद्वति (जरीब द्वारा) से सशुल्क सीमाज्ञान कराये जाने के निर्देश दिये जाते है उनमे भी शुल्क की गणना 5,000/– पॉच हजार रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से की जायेगी तथा एक हैक्टेयर से अधिक रकबा होने पर पूर्ण हैक्टेयर की अतिरिक्त राशि देय होगी।

उपरोक्त परिपत्र पूर्व में प्रसारित विभिन्न परिपत्रों की निरन्तरता के कम में जारी किया जाता है। उपरोक्त निर्देशों की पालना तत्परता से सुनिश्चित की जावें।

(दिनेश चन्द जैन)
भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ **दिनांकः–**

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. श्रीमान शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स।
4. समस्त भू प्रबन्ध अधिकारी
5. गार्ड फाईल।

भू–प्रबन्ध आयुक्त
राजस्थान, जयपुर
3/11/15

03-11-2015 सीमाज्ञान